APP-A
crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

घनश्याम बनाम मेघराज

किस्म मुकदमा 225 RTA मुकदमा नं. 43/22/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/08/22	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र केवल मात्र यह कहकर कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त हो । जबकि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मे गिरदावरी प्रस्तुत की गई थी जिससे प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा सिद्व होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरोधाभासी होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी सम्वत 2075–2078 की प्रति पेश की है जिसमे काश्तकार घनश्याम पुत्र भैरूलाल हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत 2075 प्रस्तुत की है जिसमे अपीलांट द्वारा सरसो की फसल काश्त दर्शाई गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरोधाभासी प्रकट होता है। अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 37/2021 निर्णय दिनांक 27.07.22 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे प्रार्थी/अपीलांट एवं अप्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक राजस्व रिकार्ड का विधि अनुरूप अवलोकन कर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति पर विवेचन एवं विश्लेषण कर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ दिनांक 29.08.2022 को उपस्थित होवे। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner